# राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर

## आदेश

एकल पीठ दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या242/2008

पवन शर्मा बनाम राजस्थान राज्य।

दिनांक31/3/2008

## माननीय न्यायाधिपति श्री चतरा राम

श्री अतुल कुमार जैन अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी उप0

श्री अरुण शर्मा लोक अभियोजक वास्ते राजस्थान राज्य उप0

अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया है और इस पर अभियुक्त-प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक एवं विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी तथा दौराने बहस प्रस्तुत दस्तावेज/केस डायरी का अवलोकन किया गया।

विद्वान अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से दलील दी गयी कि पेशी दिनांक 16/2/2007 को अवकाश घोषित हो जाने से दूसरे रोज दिनांक 17/2/2007 को जमानत जब्त की गयी और उक्त अनुपस्थिति के कारण दिनांक 22/5/2007 को मफरुर घोषित होने तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17/12/2007 के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से मामले के तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त अधिक समय तक अनुपस्थित नहीं रहा है और न्यायालय में उपस्थित होने को तत्पर होने से अग्रिम जमानत की सुविधा दी जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

उभय पक्ष की उक्त दलीलों को सुना जाकर, इस प्रक्रम पर इस मामले के

गुण-दोष पर विशेष विवेचन किया जाना उपयुक्त नहीं है किन्तु अपराध की प्रकृति तथा प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अत: जमानत का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर,विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी पवन शर्मा को लंबित अभियोग संख्या 142/05 भागचन्द बनाम पवन शर्मा, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट में जमानती वारण्ट तादादी पांच हजार रुपये से तलब करें।

(चतरा राम)

न्यायाधिपति

/राम/